



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062020-220172
CG-DL-E-25062020-220172

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2020/आषाढ़ 4, 1942
No. 156]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2020/ASHADHA 4, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार नीति प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

सं. के- 44033/1/2020-टीपीडी.-—दिनांक 22 नवम्बर 2019 की राजपत्रित अधिसूचना सं. 14/3/91- टीपीडी का संशोधन करते हुए एतद्वारा आम सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में श्री विद्युत बिहारी स्वैन, विशेष सचिव तत्काल प्रभाव से श्री भूपिंदर सिंह भल्ला, अपर सचिव के स्थान पर निम्नलिखित प्रयोजन के लिए नामोर्दिष्ट प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे :

- सीमाशुल्क प्रशुल्क (सहायिकी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, आकलन और प्रति संतुलनकारी शुल्कों का संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 यथासंशोधित ;
- सीमा शुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन और पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 यथासंशोधित ;

- iii) सीमा शुल्क प्रशुल्क (संरक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियम 1997 यथासंशोधित और सीमाशुल्क प्रशुल्क (संक्रमणकालीन उत्पाद विशिष्ट संरक्षोपाय शुल्क) नियम , 2002 यथासंशोधित ; और
iv) संरक्षोपाय उपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियम, 2012 यथासंशोधित ।

श्यामल मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(TRADE POLICY DIVISION)

ORDER

New Delhi, the 25th June, 2020.

F. No. K-44033/1/2020-TPD-.—In modification of Gazette Notification No. 14/3/91-TPD dated 22 November, 2019, it is hereby notified for the general information that Shri Bidyut Behari Swain, Special Secretary, M/o Commerce & Industry, Department of Commerce shall discharge the functions of the Designated Authority with immediate effect, in place of Shri Bhupinder Singh Bhalla, Additional Secretary, for the purpose of:

- i) The Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidised Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended;
- ii) The Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended;
- ii) The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 as amended and Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002, as amended; and
- iv) Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012, as amended.

SHYAMAL MISRA, Jt. Secy.

.